2024/2

FORM NO. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर (राज0)

अपील संख्या 2 /2024 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान– संदीप उर्फ किशन बनाम मथूरालाल वगै0

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 03.01.2024 | पत्रावली पेश हुई। सरिस्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्थगन प्रार्थना–पत्र व प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम की धारा 5 पर अपीलांट अभिभाषक को एकपक्षीय सुना गया।<br>दौराने बहस अपीलांट अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम धारा 5 पर कथन किया कि, अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। अपीलांट द्वारा नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिये तहसील कार्यालय सवाईमाधोपुर गया तो वहॉ जाने पर जानकारी मिली कि उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश से राजस्व रिकार्ड पर स्थगन आदेश प्रभावित है। इसलिए विरासत का नामांकन दर्ज नहीं हो सकता। प्रार्थी को स्थगन की जानकारी होते हुये ही अपीलांट उक्त आदेश के संबंध में अपील पेश करने हेतु विधिक सलाह प्राप्त कर बिना किसी देरी के उक्त अपील पेशी की है, अपील में पेश करने में हमने जानबुझकर देरी नहीं की है, जो देरी हुयी है, उसके लिये न्यायहित में क्षमा फरमाया जाये।<br>हमने अंधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम धारा 5 पर किये गये कथन उचित प्रतीत होने से न्यायहित में धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे।<br>इसके उपरांत अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में हमारे नाम से विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं किया जा रहा है। रेस्पो0 हमे जबरन उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते है। 30-1<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>सवाई माधोपुर | |

राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

तहत न्यायालय ने अन्तरिम आदेश दिनांक 07.02.2020 को जारी कर आगामी सुनवाई दिनांक 07.04.2020 नियत की गयी वह आज दिनांक तक निर्णित नहीं हुआ, जो आदेश 39 नियम 3ए के प्रावधानो विपरित है। अतः अपील स्वीकार कर तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.02.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 07.02.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि तहत न्यायालय द्वारा आर्डर 39 नियम 3ए का पालना नहीं की है।

इस प्रावधान के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिवस में किया जाना आवश्यक होता है तथा 30 दिवस में निस्तारण नहीं किये जाने पर कारण अंकित किया जाना आवश्यक है। तहत न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण नहीं किया ना ही अब तक निस्तारण किये जाने का कारण अंकित किया है, जो स्पष्ट रूप से विधि अनुरूप नहीं है। अतः तहत न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के प्रकरण संख्या 07/2020 के बउनवानी मथूरा बनाम संदीप में पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.02.2020 की क्रियान्विति/प्रचलन व प्रभाव स्थगित किया जाता है। प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विधिक प्रावधानों अनुसार 30 दिवस में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र का निस्तारण करना सुनिश्चित करे। अपीलांट तहत न्यायालय में आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 19.01.2024 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे। आदेश की प्रतिलिपित आज ही तहत न्यायालय को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार हो।

30-1

उम्मेदीलाल मीना
(आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते